

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

237
09.04.2021

आदेश

विषय - कोविड-19 के बढ़ते मामलों के प्रभावी नियंत्रण हेतु जिलावार नोडल पदाधिकारी नामित करने के संबंध में।

कोविड-19 के तीव्र गति से बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्न पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने जिला के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है :-

क्र.सं.	प्रधान सचिव/सचिव के नाम	आवंटित जिले
1.	श्री अजय कुमार सिंह प्रधान सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग	धनबाद एवं देवघर
2.	श्रीमती वंदना डाडेल प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग	कोडरमा एवं रामगढ़
3.	श्रीमती हिमानी पांडे सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला-खरसावाँ
4.	श्रीमती अराधना पटनायक सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	लातेहार एवं लोहरदगा
5.	श्री राहुल शर्मा सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	पश्चिमी सिंहभूम एवं खूँटी
6.	श्री विनय कुमार चौबे सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	राँची
7.	श्री सुनील कुमार सचिव, पथ निर्माण विभाग	बोकारो एवं गिरिडीह
8.	श्रीमती पूजा सिंघल सचिव, उद्योग विभाग	हजारीबाग एवं चतरा
9.	श्री राजेश शर्मा सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	पाकुड़ एवं साहेबगंज
10.	श्री अब्बुबकर सिद्दीख पी. सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	पलामू एवं गढ़वा
11.	श्री प्रवीण कुमार टोर्पा सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	गुमला एवं सिमडेगा
12.	श्री प्रशांत कुमार सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	दुमका, जामताड़ा एवं गोड्डा

1. उपर्युक्त नोडल पदाधिकारी संबंधित जिले अंतर्गत कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु निम्नांकित गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा उपायुक्त को यथावश्यक दिशा-निर्देश देंगे :-

- Testing
- Tracking
- Treatment
- Vaccination
- COVID appropriate behavior
- Strict adherence to the prescribed SOPs
- Local restrictions
- Protection of vulnerable persons
- राज्य सरकार द्वारा जारी Restrictions.


2. सभी नोडल पदाधिकारी उपर्युक्त के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत समस्त दिशा-निर्देश के अनुपालन का नियमित समीक्षा करेंगे।

3. सभी नोडल पदाधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं०-40-3/2020-DM-I(A) दिनांक-23.03.2021 तथा समय-समय पर अन्य आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करेंगे।

4. सभी नोडल पदाधिकारी आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड का आदेश सं०-12 दिनांक-06.04.2021 तथा समय-समय पर अन्य निर्गत दिशा-निर्देश की समीक्षा करेंगे।


5. उपरोक्त वर्णित समीक्षा एवं पर्यवेक्षण के क्रम में जिन बिन्दुओं पर राज्य स्तर से हस्तक्षेप की आवश्यकता हो उन्हें अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

6. इस कार्यालय के आदेश पत्रांक-254 दिनांक-02.04.2020 को विलोपित किया जाता है।


(सुखदेव सिंह)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक-05/रा०आ०मो०नि०(COVID-19)-04/2020(खण्ड-1).....237.....आ०प्र०, राँची, दिनांक- 9.4.2021
प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी नोडल पदाधिकारी को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य सचिव